न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर जिला चूरू

बइजलास दिपांशु सांगवान (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 01 सन् 2024

अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

अनुवान भंवरलाल आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि

निर्णय दिनांक : 05.01.2024

1. भंवरलाल पुत्र हेतराम जाति नायक निवासी मेघसर तहसील तारानगर जिला चूरू।

2. राजेन्द्र पुत्र नागरमल जाति मेघवाल निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू

– प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

– अप्रार्थी

–:: <u>निर्णय</u> ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 194 खसरा नम्बर 1972/866 तादादी 1.1507 हैक्टेयर वा. सोयम कुल किता 01 कुल तादादी 1.1507 वाके रोही ग्राम तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है, जो भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी, कब्जा व उपयोग–उपभोग की कृषि भूमि है। यही विवादित कृषि भूमि है। प्रार्थीगण की उक्त खसराजात की कृषि भूमियों की सींव के पुख्ता सीमा चिन्ह थे, जो प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समाप्त हो गए है। प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की भूमि पर ही काश्त करते आ रहे है, जबकि अब उक्त पुराने सीमा चिन्ह नष्ट होने के बाद पडौसी खातेदारों से प्रार्थीगण का सीमा विवाद होने की आंशका है। प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त कृषि भूमि में पूर्व में अस्थाई सीमा चिन्ह बने हुए थे जो अब नष्ट हो गए है। उक्त सीमा चिन्ह नष्ट हो जाने से प्रार्थीगण और अन्य पडौसी कृषकों के मध्य सीमा संबंधी परेशानियां हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पडौसी काश्तकारों को अपनी–अपनी कृषि भूमियों की सीमाओं पर स्थाई चिन्ह लगवाने व पैमाईश करवाने को बार–बार कहा व कहलवाया तो वे आज कल आज कल करते रहे आखिर दिनांक 30.11.2023 को ऐसा मानने से बमुकाम तारानगर में साफ इंकार कर दिया अतः यही तारीख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण व आधार है।

अन्त में प्रार्थीगण ने विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 194 खसरा नम्बर 1972/866 तादादी 1.1507 हैक्टेयर वा. सोयम कुल किता 01 कुल तादादी 1.1507 वाके रोही ग्राम तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू की सीमाओं की पुख्ता पैमाईश चिन्ह से पैमाईश की जाकर सीमाओं की पुख्ता निशानदेही का अनुतोष चाहा है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आये। अप्रार्थी द्वारा कोई राज्य

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू

हित नहीं होना जाहिर किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में विवादित कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रतिलिपि तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 194 खसरा नम्बर 1972/866 तादादी 1.1507 हैक्टेयर बा. सोयम कुल किता 01 कुल तादादी 1.1507 वाके रोही ग्राम तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू की अनुभवी पटवारी गिरदावर की टीम गठित कर पैमाइश करवाई जाकर चारों तरफ की सीमाओं की पत्थर गढ़ी करवाने का निवेदन किया। अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी की याचिका स्वीकार की जाती हैं तो हमें कोई आपति नहीं हैं व धारा 111 एल आर एक्ट के अनुसरण में पालना कर दी जावेगी।

उभय पक्ष की बहस पर ससम्मान मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवचनों, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 194 खसरा नम्बर 1972/866 तादादी 1.1507 हैक्टेयर बा. सोयम कुल किता 01 कुल तादादी 1.1507 वाके रोही ग्राम तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू की धारा 111 एल आर एक्ट की पालना सुनिश्चित करते हुए पैमाइश करवाई जाकर पत्थर गढ़ी के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यांशु स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी,
तारानगर (चूरू)